न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आशीष जयपाल (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 278/ 2025

CNR No. : RJJH220006652025

राजस्थान राज्य बनाम सुमित कुमार

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140/2023,

अपराध अन्तर्गत धाराः 498ए, 406, 323, 341 325 आईपीसी

भाग–प्रथम

A

परिवादी/ शिकायतकर्ता	श्रीमती रेणु पुत्री जगदीश पत्नी सुमित उम्र 25 साल निवासी कुलोठ कलां जिला झुंझुनू राजस्थान।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	सुमित कुमार पुत्र अजीत, उम्र 25 साल निवासी, बिहरोड, पुलिस थाना झज्झर हरियाणा।
अधिवक्ता अभियुक्त	**श्री रोनक हलवान**

B

अपराध की दिनांक	01–01–2019 से 09–04–2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	10–04–2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	06–11–2025
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	06–11–2025
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	23–06–2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	----
निर्णय दिनांक	23–06–2026
दण्डादेश की दिनांक	----

C

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहों की सूची

अ–अभियोजन गवाह

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू. 1	रेणु	परिवादीया

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श</u>

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	कार्यवाही पुलिस
02	प्रदर्श पी 02	एफआईआर
03	प्रदर्श पी 03	मेडिकल मुआयना
04	प्रदर्श पी 04	फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका घटनास्थल
05	प्रदर्श पी 05	फर्द जब्ती व सुपुर्दगी दहेज का सामान
06	प्रदर्श पी 06	बयान 161 सीआरपीसी

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

– निर्णय –

दिनांक– 23–06–2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10–4–2023 को परिवादीया श्रीमती रेणु पुत्री जगदीश पत्नी सुमित जाति ब्रहाम्ण उम्र 25 साल निवासी कुलोठ कलां मय अपने भाई सुनिल कुमार के हाजीर थाना हो एक टाईपशुवा रिपॉट इस आशय की पेश की कि वह रेनू पत्री श्री सुमित पुत्री श्री जगदीश आयु 25 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी कुलोठ कला की रहने वाली हैं उसका विवाह 4 वर्ष पुर्व सुमित पुत्र अजित निवासी बिरोड़ तहसील मातणहेल जिला झज्जर हरियाणा के साथ हिन्दू रिति रिवाज से उसके पिता के पर सम्पन्न हुआ था। उसके पिता ने अपनी हैसियत से बाहर वान बहेज भी दिया था। उसके विवाह के पश्चात मेरी सास रामरती और पति सुमित आये दिन दहेज कम लाने के ताने बाने सुनाते रहते थे। और बार बार उसके पिता से नगदी रूप्ये लाने का उसके पर दबाव बनाते रहते थे। जिसके बारे में उसने उसके पिता को बताया तो उसके पिता ने हमारे रिश्तेदारी व परिवार जनो के साथ मिलकर समझाईस कर मामले को सामाजिक स्तर पर निप्टा दिया। उसके उपरान्त 2 साल तक हमारा घर परिवार सुख शान्ति से चला। पिछले एक साल से फिर से उसके पिता से 80,000 रूपये मंगवाने का दबाव बना रहे थे। जिसके बारे में जब उसने दिनांक 09–04–2023 को साफ साफ मना कर दिया तो सांय समय लगभग 7.30 बजे उसके पति सुमित और सास रामरती ने लोहे की राहड़ व सरियों से मारपीट करने लगे। और उसे कहा कि या तो तेरे बाप से अभी के अभी पैसे मंगवा नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। उसने जब मना कर दिया तो दोनो ने राहड़ व सरियो से तेज प्रहार करना शुरू कर दिया। जिससे उसके सिर पर लगते ही वह बैहोश हो गई। उसे होश आया तो पता चला कि वह तक्षक हस्पताल चरखी दादरी में हैं। और उसका सिर फटा हुआ है तथा बाया हाथ दुटा हुआ है और कमर मे गम्भीर चोट लगी हुई है और उसका भाई सुनिल, संजीत तथा चाचा राजू व उसकी ननद मोनू उसके पास खड़े थे। जहा से उसके भाईयो तथा चाचा ने उसके को चरखी दादरी पुलिस थाना ले गये। जहा पर पुलिस अधिकारीयो ने मेझे यह कहा कि आपका गाँव उनके क्षेत्राधिकार मे नही आता है आप मातणहैल चौकी जाओ। वहा से वे मातणहैल चोकी गये जहा पर सभी पुलिस वाले शराब के नशे में धुत थे और उन्हें कहा कि यहा कोई कार्यवाही नही होगी घर भाग जाओ। वहा से वे उसके पिहर कुलोठ कला आ रहे थे तो उसके पति सुमित उसकी सास रामरती स्कोरपीयो

गाडी से हमारा पिछा किया और उसे व उसके परिवार वालो को जान से मारने के लिए आये थे अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि उसका मेडिकल करवाकर उसके पति सुमित व उसकी सास रामरती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्याय दिलाने की कृपा करे... ... ... **... .इत्यादि** उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सूरजगढ में **एफ आई आर नंबर 140/2023** अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, 341 325 आईपीसी में दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा दिनांक 06–11–2025 को अभियुक्त सुमित कुमार के विरूद्ध धारा 498ए, 406, 323, 341 आईपीसी मे आरोप पत्र पेश किया गया। जिस पर न्यायालय के द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त पर अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, 341, 325 भादसं का पृथक से आरोप विरचित किया गया। सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. पक्षकारान द्वारा दिनांक 23–06–2026 को राजीनामा अंतर्गत धारा 406, 325, 323, 341 आईपीसी में पेश किया गया जो बाद जांच तस्दीक किया गया अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498ए, आईपीसी में दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये पृष्ठ संख्या 01 व 02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी अभिलिखित नहीं किए गए, द्वक्योंकि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पक्षद्रोही घोषित हुई है।

6. बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया वहीं मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया है कि परिवादिया रेणु का घरेलु बात को लेकर अपने पति से मनमुटाव हो जाना कथित किया है। ऐसी स्थिति में मुलजिम के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं हो पाया है। अतः मुलजिम को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

7. **पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्न है –**

1. क्या अभियुक्त सुमित द्वारा दिनांक 18–11–2018 को परिवादिया रेणु से हुए विवाह के पश्चात से ही परिवादिया रेणु का पति होते हुए उससे दहेज में 80,000/–रूपये की मांग की एवं उसकी पूर्ति उसके द्वारा नहीं करने पर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की व परिवादिया के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की व परिवादिया का स्त्रीधन आपने बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर परिवादिया के मांगने पर भी नहीं लौटा कर आपराधिक न्यास भंग किया?

2. यदि हां तो उचित दंड क्या होगा?

8. **हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत** महत्वपूर्ण गवाह स्वयं **परिवादिया रेणू पी ड 1 है** जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसका विवाह 18–11–2018 को सुमित कुमार पुत्र अजीत के साथ उसके पिता के घर कुलोठ कलां में हिन्दू रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह में उसके पिताजी ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया। जो विवाह के समय उसके पिता ने उसके पति सुमितत तथा उसके पिता अजीत को संभला दिया था। विवाह के पश्चात वह अपने ससुराल चली गई ससुराल जाने के बाद उसका उसके पति के साथ घर की छोटी मोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद होने लग गया अज खुद कहा कि उसका धनपत के साथ राजीनामा हो गया है न्यायालय में उसके द्वारा पेश किया गया थाने मे दी गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका मेडिकल हुआ था। आईआर प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। वह घर में काम करते हुए नीचे गिर गई थी जिसके कारण उसे कुछ चोटें आई हैं फर्द पेश किये जब्ती स्त्रीधन प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। दौराने प्रतिपरीक्षा अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का हिस्सा ए से बी उसके विवाह के पश्चात... उनका पीछा किया। उसने पुलिस में बयान देने से मना किया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने से वह उसके पति को बचाने के लिए झूठे बयान दे रही है।

9. इस प्रकार परिवादिया अभियोजन की कहानी के विपरीत साक्ष्य देकर पक्षद्रोही

घोषित हुई है व उसके साथ उसके पति द्वारा दहेज में नगद रूपयों की मांग को लेकर उस को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित कर धारा 498ए, 341, 323 भादस का अपराध कारित करना परिवादिया ने स्वीकार नहीं किया है बल्कि उसने लिखित रिपोर्ट व पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सी. आर. पी. सी. से इंकार किया है। परिवादिया द्वारा परिवादिया का उसके पति से राजीनामा होने व अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहने का कथन किया है। स्वयं परिवादिया ने उपरोक्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रकट की है।

10. अतः समस्त साक्ष्यों के विवेचन और विश्लेषण से अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि मुलजिम द्वारा परिवादिया के साथ दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की हो। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 341, 323 भादस में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

11. अतः **अभियुक्त** सुमित कुमार पुत्र अजीत, उम्र 25 साल निवासी, बिहरोड, पुलिस थाना झज्झर हरियाणा को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, आईपीसी में दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 406, 325, 323, 341 आईपीसी में बरवे राजीनामा दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त द्वारा नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किये जाते है। अभियुक्त धारा 437ए द. प्र. सं. के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/–रूपये का मुलचका व इसी राशि की जमानत पेश की गई।

(आशीष जयपाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजगढ़

12. निर्णय आज दिनांक 23.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष जयपाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़